न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 51/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/93

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मल्लूराम जाति ब्राह्मण
2. राहुल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण
3. कोमल शर्मा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण
4. सुमन शर्मा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण
5. तारा शर्मा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण
6. भगवानी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण
7. लोकेश शर्मा पुत्र नंदकिशोर जाति ब्राह्मण
8. ममता शर्मा पुत्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण
9. अंकिता शर्मा पुत्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण
10. वर्षा शर्मा पुत्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण
11. रिपुरानी शर्मा पुत्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण

सभी निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिए मुख्त्यार आम धर्मपाल गोदारा पुत्र श्री दयाराम गोदारा जाति जाट निवासी किकाली तहसील नोहरजिला हनुमानगढ़।

12. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार(सूरतगढ़)।
13. प्रबन्धक मण्डी समिति, हनुमानगढ़।
14. उपखण्ड़ अधिकारी एवं भू–अवाप्ति अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सुभाष सहू — अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स
श्री राधा किशन स्वामी

निर्णय

दिनांक 31.10.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 320/1 तादादी 0.038 हैक्टयर., 320/2 तादादी 0.177 हैक्टयर., 320/3 तादादीं 0.468 हैक्टयर, 320/4 तादादी 1.607 हैक्टयर, कुल तादादी 2.3002 हैक्टयर एकबा तहसीलदार सूरतगढ़ ने इंतकाल संख्या 257 दिनांक 19.04.2005 द्वारा नगरपालिका सूरतगढ़

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संबंध में तहसीलदार सूरतगढ़ ने इंतकाल संख्या 257 दिनांक 19.04.2005 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 को बिना सुने दर्ज किया। उक्त वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का लगातार कब्जा बना हुआ हैं। उक्त वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 की खातेदारी कब्जे काश्त भूमि है जो बिना किसी आधार के नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज हुई। उक्त वादगत भूमि कभी भी अपीलांटस को आंवटन नहीं हुई है। इसलिए अपीलांट को व्यथित पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 11.11.2021 को यथावत रखा जावे एवं इंतकाल संख्या 257 दिनांक 19.04.2005 करे जैर अपील रकबे की हद तक इंतकाल निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2010(1) RRT 349 High Court को प्रस्तुत कर अवलोकनीय बताया।

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2021 उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार सूरतगढ़ का इंतकाल संख्या 257 दिनांक 19.04.2005 में अंकित जैर अपील रकबा की हद तक इंतकाल निरस्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 11.11.2021 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

6— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर